प्रस्ताव बावत् संक्षिप्त टीप

सामान्य वन मण्डल रायसेन में वन परिक्षेत्र बेगमगंज के अंतर्गत संभागीय प्रबंधक एम.पी.आर.डी.सी भोपाल द्वारा वनक्षेत्र मे बेगमगंज–सुल्तानगंज मार्ग निर्माण हेतु आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक पीएफ–164 में रकबा 0.294 हे0, पीएफ–161 में रकबा 0.579 हे0, पीएफ–162 में रकबा 0.214 हे0, पीएफ–997 में रकबा 0.172 हे0, पीएफ–195बी में रकबा 0.366 हे0, पीएफ–195ए में रकबा 0.214 हे0, पीएफ–194 में रकबा 0.223 हे0, **कुल रकबा 2.060 हेक्टेयर** वन भूमि का चयन उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग हेतु किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

Begamganj- Sultanganj Road (FP/MP/ROAD/149613/2021)					
S.N.	**RANGE**	**COMPRTMNT NO.**	**LENGTH (in m.)**	**WIDTH (in m.)**	**AREA (inH.)**
1	begamganj	PF-164	453	6.5	0.293
2		PF-161	890	6.5	0.578
3		PF-162	357	6.0	0.214
4		PF-997	246	7.0	0.172
5		PF-195B	637	5.75	0.365
6		PF-195A	373	5.75	0.214
7		PF-194	371.0	6.0	0.223
TOTAL			**3327**		**2.060**

म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–5–14/2005/10–3 दिनांक 30.07.2012 में निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण के संबंध में पंजीयन शुल्क 1000/–रू एवं प्रोसेसिंग शुल्क 5000/–रू कुल 6000/–रू का डिमॉन्ड ड्राफ्ट आवेदक विभाग द्वारा राज्य के राजस्व मद मे ऑनलाईन जमा कराया गया है। जिसका यूटीआर कमांक MPT04062803202300113 दिनांक 28.03.2023 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव मे आवेदक विभाग द्वारा वन मण्डल रायसेन सामान्य के अंतर्गत कुल 2.060 हेक्टेयर वनभूमि उपरोक्त मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2023 द्वारा बेगमगंज–सुल्तानगंज मार्ग हेतु ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा कमांक 125 मे रकबा 4.120 हेक्टेयर छोटे बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि आवंटन का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त तारतम्य मे इस कार्यालय द्वारा बेगमगंज–सुल्तानगंज मार्ग हेतु दुगनी 4.120 हेक्टेयर गैर वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) मे 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/माचि/849 दिनांक 26.05.2023 द्वारा तकनीकी स्वीकृति हेतु वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर प्रेषित की गई। तदानुसार वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल के आदेश कमांक/माचि/168 दिनांक 30.05.2023 द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि 2.060 हेक्टेयर के विरूद्ध दुगने बिगड़े वनक्षेत्र रकबा 4.120 हेक्टेयर की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की **तकनीकी स्वीकृति** जारी की गई है। प्रकरण के संबंध मे उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्य हेतु सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत कुल रकबा 2.060 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी। प्रभावित वनभूमि की नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि जमा करने के संबंध मे आवेदक विभाग से वचन पत्र प्राप्त किया गया है। आवेदक विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहॉ आवागमन सुविधा उपलब्ध

Scanned with CamScanner

कराने के उद्देश्य से उपरोक्त प्ररताव प्ररतुत किया गया है। प्रकरण के संवंध मे आवेदक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण कार्य हेतु सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत कुल रकवा 2.060 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी प्रभावित वनभूमि के अलावा अन्य कोई वेहतर विकल्प नही हैं। आवेदित कक्ष क्रमांकों से संवधित वनक्षेत्र का घनत्व 0.3 से 0.4 एवं BL1 तक है। एवं प्रस्तावित क्षेत्र की स्थल गुणवत्ता VA एवं VB है। प्रस्तावित क्षेत्र मे वनो की ईको वैल्यू श्रेणी उष्णकटिवंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। इस प्रकार सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत वन परिक्षेत्र वेगमगंज मे संभागीय प्रवंधक एम.पी.आर.डी.सी भोपाल द्वारा वनभूमि मे **बेगमगंज–सुल्तानगंज** मार्ग निर्माण कार्य हेतु वनक्षेत्र मे **कुल रकबा 2.060 हेक्टेयर** वनभूमि का चयन किया गया है। उपरोक्त मार्ग के निर्माण होने से आस–पास क्षेत्रों एवं दूरस्थ ग्रामों मे आवागमन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

अतः सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत उपरोक्त चयनित क्षेत्र मे ही उक्त मार्ग निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उचित विकल्प नहीं है।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल रायसेन

Scanned with CamScanner